(189)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3654—दो/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—08—2016, 19.9.2016, 28.9.216 के द्वारा तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 79/अ—6अ/2015—16.

1—श्रीमती केमली पत्नी स्व0 राधे अहीर
2— मुरारी अहीर तनय स्व0 राधे अहीर
3— नागेन्द्र अहीर तनय स्व0 राधे अहीर
4— रमेश अहीर तनय स्व0 राधे अहीर
5— कामराज अहीर तनय स्व0 राधे अहीर
6— रामकिशुन अहीर तनय स्व0 बाबूलाल अहीर
7— छोटेलाल अहीर तनय स्व0 बाबूलाल अहीर
8— रामभजन अहीर तनय स्व0 बाबूलाल अहीर
9— जगन्नाथ अहीर तनय स्व0 करण अहीर
10— मिश्रीलाल तनय स्व0 करण अहीर
11— रामगरीव तनय स्व0 सरजू अहीर
12—शिवनाथ तनय स्व0 मटुकधारी अहीर
13— बंशमणि तनय स्व0 शंकर अहीर
निवासीगण ग्राम गोपला तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1— श्रीमती सुधरानी पत्नी स्व0 तौलन अहीर
2— सीताराम तनय तौलन अहीर
3— भोलानाथ तनय तौलन अहीर
4— बछपुरलाल तनय तौलन अहीर

5– राजाराम तनय तौलन अहीर

6– छोटेलाल तनय तौलन अहीर

7– ददन प्रसाद तनय तौलन अहीर

निवासी ग्राम हरसमड़ तहसील लालगंज

जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश

–– अनावेदकगण

.....

श्री डी0 एस0 चौहान , अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आर0 एस0 सेंगर अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 21/06/17 को पारित)

यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (अत्र पश्चात् संहिता) की धारा 50 के अधीन तहसीलदार तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 79/अ–6अ/ 2015–16 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि पूर्व पेशी पर उभय पक्ष के अधिवक्तागणों के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार करने तहसीलदार के अंतिरिम आदेशों के अवलोकन से तथा निगरानी मेमों के तथ्यों से परिलक्षित है कि तहसीलदार के अंतिरिम आदेश 22.8.16 अंकित किया है कि " प्रकरण में पूर्वानुसार " इसी प्रकार

अंतिरिम आदेश दिनांक 19.9.16 में अंकित किया है कि आवेदक के तर्क सुने गये। अनावेदक चाहे तो पेशी 28.9.16 के पूर्व लिखित तर्क पेश कर सकेत हैं। वास्ते आदेशार्थ'' अंकित करते हुये प्रकरण 28.9.16 को नियत किया। पेशी 28.9.16 को आदेश पत्रिका में अंकित है कि अनावेदक तर्क पेश करने हेतु समय चाहा, न्यायाहित में अनावेदक को तर्क हेतु समय दिया जाता है। अंतिम अवसर पेशी 13. 10.16 ।

3– तहसीलदार के उपरोकत तीनों अंतिरिम आदेशों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा न्याय हित में अनावेदक को तर्क प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया है। जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार हनुमाना को आदेश दिये जाते हैं कि वह पक्षकारों की अंतिम बहस श्रवण कर प्रकरण का निराकरण शीघ्र किया जावे। पक्षकार सूचित हों। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर